न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 10/2021

अपीलांट्स –

1. निम्बाराम पुत्र दलाराम के कायम मुकाम
   1/1 आईदानराम पुत्र निम्बाराम
   1/2 अणदाराम पुत्र निम्बाराम
   1/3 किरताराम पुत्र निम्बाराम
   1/4 रामू पत्नि निम्बाराम
2. नानगाराम पुत्र दलाराम
3. हुकमाराम पुत्र रायचंदराम
4. डालुराम पुत्र रायचंदराम
5. पुरखाराम पुत्र लिखमाराम
6. केसाराम पुत्र लिखमाराम
7. भोमाराम पुत्र लिखमाराम
8. अणसी देवी पत्नि लिखमाराम
9. मेराजराम पुत्र काछबाराम
   जाति जाट निवासी नवजी का पाना, भुरटिया तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. रावताराम पुत्र सरदारारराम के कायम मुकाम
   1/1 जेठाराम पुत्र रावताराम
   1/2 ठीकमाराम पुत्र रावताराम
   1/3 गेनाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी नवजी का पाना, भुरटिया तहसील व जिला बाड़मेर
   1/4 चुनीदेवी पत्नि डालूराम पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील बायतु
   1/5 लक्ष्मी देवी पत्नि मोहनलाल पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी नथोणियों का वास, कुडला तहसील व जिला बाड़मेर
2. पैलादाराम पुत्र काछबाराम जाति जाट निवासी नवजी का पाना, भुरटिया तहसील व जिला बाड़मेर
3. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई शाखा कवास
4. शाखा प्रबन्धक, आरजीएमबी शाखा चवा तहसील बाड़मेर
5. तहसीलदार बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 105 दिनांक 22.01.2013 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:44:45 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री भोमाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री उगराराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. 1/3 की ओर से उपस्थित।
3. अवशेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेंट संख्या 5 प्रफॉर्मा पक्षकार।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 20.11.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 105 दिनांक 22.01.2013 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा नवजी का पाना में खेत खसरा नंबर 683, 684, 685, 686, 687, 688, 706, 707, 691/647 रकबा 178–17 बीघा भूमि के खातेदारान नीम्बा, नानगा पि0 दला, रावताराम पि0 सरदारा, हुकमाराम, डालूराम पि0 रायचन्द, वरजू पत्नि रायचन्द, पुरखाराम, केसाराम, भोमाराम पि0 लिखमाराम, अणसी पत्नि लिखमाराम, मेराज, पेलाद पि0 काछबा कौम जाट निवासी नवजी का पाना सा0 देह खातेदारान ने दिनांक 22.01.2013 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार कृषि जोतों का आपसी सहमति से विभाजन करने निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत भूरटिया द्वारा की गई एवं हल्का पटवारी भूरटिया द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक आदेश क्रमांक 105 दिनांक 22.01.2013 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.02.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील में मयाद के बिन्दु को निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:44:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा नवजी का पाना में खेत खसरा नंबर 683, 684, 685, 686, 687, 688, 706, 707, 691 / 647 रकबा 178–17 बीघा भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की गई है। उतरदाता संख्या 01 के पिता रावताराम व उतरदाता संख्या 2 ने अपीलांट्स को वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जा काश्त एवं पूर्व में किये गये बाहामी बंटवाडा अनुसार विभाजन करने इसके साथ ही पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा। जिस पर अपीलांट ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाने की सहमति दी। जिस पर पटवारी हल्का ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया गया। अपीलांट्स व उतरदाता संख्या 01 व 02 ने विभाजन प्रस्ताव, नक्शे व जमाबंदी पर हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान संलग्न नक्शे के अनुसार भूमि का विभाजन करवाने हेतु प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया । हल्का पटवारी द्वारा उतरदाता संख्या 01 व 05 के दबाव में विभाजन हेतु तैयार पूर्व नक्शे को बदलते हुए पक्षकारान द्वारा नक्शे पर किये गये हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान पर हल्का पटवारी ने नक्शा तैयार कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट्स व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। लिहाजा अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि कुछ अर्सा पूर्व जब अपीलांट्स ने मौके पर कब्जा काश्त में उतरदाता द्वारा हस्ताक्षेप किया जाने लगा तब उतरदाता संख्या 1 रावता के फौत होने के [illegible] के वारिसान ने भूमि का विधिवत रूप से पटवारी से पैमाईश करवाकर [illegible] काश्त की जाये, जिस पर उतरदाता ने कहा कि मौके की स्थिति, [illegible]म में भिन्नता है। जिससे अपीलांट को अपना हक हिस्सा संशयप्रद लगा तथा अपीलाधीन आदेश की नकल मांगने पर ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:44:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उक्त विभाजन आदेश की जानकारी दिनांक 02.02.2021 को हुई। इस प्रकार प्रथम जानकारी होने की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र संलग्न कर अपील अन्दर मयाद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया।

6. रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स ने दिनांक 22.01.2023 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष उपस्थित होकर संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा नवजी का पाना में खेत खसरा नंबर 683, 684, 685, 686, 687, 688, 706, 707, 691 / 647 रकबा 178–17 बीघा भूमि का सहमति विभाजन हेतु इकरारनामा प्रस्तुत किया। हलका पटवारी द्वारा विभाजन इकरार की ताईद करते हुए कब्जा एवं रेकर्ड अनुसार विभाजन होना पुष्टि किया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान की सहमति के आधार पर विभाजन इकरारनामा स्वीकृत करते हुए राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु हलका पटवारी को अपीलाधीन आदेश जारी किया गया। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील करीब 8 साल बाद प्रस्तुत की है तथा अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 02.02.2021 को होने का तथ्य अभिलेखीय तौर पर गलत एवं मनगढत अंकित किया है। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन विभाजन के पश्चात उनके हिस्से में आई भूमि का आपस में भी बंटवाडा कर लिया है। अब केवल रेस्पो. को परेशान करने एवं नेखमबंदी को रोकने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस आधार पर अपीलांट्स की यह अपील मयाद बाहर होने के साथ ही सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील गुणावगुण पर कमजोर होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। प्रकरण में अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने के अभिकथन की जांच हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से मौका कब्जा की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार [illegible] मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि सहमति विभाजन अनुसार भरे गये नामान्तरकरण की पुश्त पर विभाजन तरमीम अंकित की गई है किन्तु लट्ठा ट्रेस में तरमीम का अंकन भिन्न दर्ज की गई है। वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:44:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम से पैमाईश करने पर मौका कब्जा में भिन्नता उत्पन्न होती है। अपीलाधीन विभाजन पत्र के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा नवजी का पाना में खेत खसरा नंबर 683, 684, 685, 686, 687, 688, 706, 707, 691/647 रकबा 178–17 बीघा भूमि के खातेदारान नीम्बा, नानगा पि0 दला, रावताराम पि0 सरदारा, हुकमाराम, डालूराम पि0 रायचन्द, वरजू पत्नि रायचन्द, पुरखाराम, केसाराम, भोमाराम पि0 लिखमाराम, अणसी पत्नि लिखमाराम, मेराज, पेलाद पि0 काछबा कौम जाट निवासी नवजी का पाना सा0 देह खातेदारान ने दिनांक 22.01.2013 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार कृषि जोतों का आपसी सहमति से विभाजन करने निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत भूरटिया एवं हल्का पटवारी भूरटिया द्वारा की गई एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक आदेश क्रमांक 105 दिनांक 22.01.2013 पारित किया गया। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से प्राप्त मौका कब्जा रिपोर्ट अनुसार उक्त विभाजन सही हुआ है एवं इसकी अनुपालना में भरा गया नामान्तरकरण तथा तरमीम का अंकन भी सही दर्ज है। लट्ठा ट्रेस में तरमीम का अंकन भिन्न होने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुयी है। ऐसे में अपीलाधीन सहमति विभाजन पत्र किसी भी तरह से दूषित नहीं है। यदि लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम विभाजन इकरार अनुसार अंकित नहीं है तो इसके लिए अपीलांट्स पृथक से तरमीम दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को निर्देशित किया जाता है कि मौजा नवजी का पाना में खेत खसरा नंबर 683, 684, 685, 686, 687, 688, 706, 707, 691/647 रकबा 178–17 बीघा का मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति किये गये बंटवाड़ा से भिन्न तरमीम अंकन

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:44:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

होने की दशा में नियमानुसार तरमीम संशोधन प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत नियमानुसार कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:44:45 IST
Reason: SelfAttested